विक्रेता विशिष्ट नियम और शर्तें

वे विक्रेता जो अपने स्क्रैप/निपटानों की ई-नीलामी के संबंध में एमएसटीसी की सेवाओं का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं, उन्हें एमएसटीसी के साथ एक विशिष्ट और औपचारिक बिक्री एजेंसी करार पर निम्नलिखित पंक्तियों में या उसके निकट परिस्थितियों की अनुमति के अनुसार हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

वास्तविक कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वास्तविक करार में खंड प्रबल होंगे।

सेलिंग एजेंसी करार

1.0 यह करार दिनांक ..... को ..... के साथ बनाया गया एवं जिनका पंजीकृत कार्यालय ..... पर स्थित है। इस कार्यालय को इसके बाद "प्रिंसिपल" कहा जाएगा (जब तक अभिव्यक्ति को अलग नहीं किया जाएगा या संदर्भ को निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक इसके उत्तराधिकारी और निरूपित शामिल किए जाएंगे) प्रथम पक्ष; और एमएसटीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. सीएफ 18/2, मार्ग सं. 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यूटाऊन, कोलकाता-700 156 में है, जिसके बाद में ''एमएसटीसी'' कहा गया है (जो शर्तों में जब तक विषय व संदर्भ को अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरजीवियों एवं अभ्यर्थियों को शामिल समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष;

2.0 जबकि ''एमएसटीसी'' ने एमएसटीसी ऑक्शन वेब साईट www.mstcecommerce.com के माध्यम से सभी चल/अचल वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों/परिसंपत्ति तथा सभी अधिशेष, कन्डम्ड/स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों तथा द्वितीयक उत्पन्न पदार्थों (लौह तथा अलौह) के साथ-साथ उपकरणों, संयंत्रों, मशीनरियों एवं अन्य वस्तुओं आदि के निपटान हेतु एमएसटीसी को विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए ''प्रिंसिपल'' से संपर्क किया है।

3.0 और जबकि, ''प्रिंसिपल'' ने इसके बाद उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर उक्त उद्देश्य के लिए ''एमएसटीसी'' को विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर सहमत है।

4.0 अब एतद्द्वारा सहमत होकर इसके पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार घोषित किया जाता है :-

4.1 इस करार में उपरोक्त अनुच्छेद 2 में उल्लेखानुसार एमएसटीसी की ई-नीलामी वेबसाइट www.mstcecommerce.com के माध्यम से सभी चल/अचल मदों/सेवाओं/कार्यों/परिसंपत्तियों का निपटान शामिल है।

4.2 उपर्युक्त के अलावा, इस करार में परस्पर सहमति से भी निपटान श्रेणी हेतु अन्य वस्तुएं शामिल की जा सकती है।

4.3 ''एमएसटीसी'' खंड 4.1 व 4.2 के अंतर्गत समाहित सभी वस्तुओं के निपटान हेतु सेलिंग एजेंट के रूप में इस करार के आधार पर वेबसाईट www.mstcecommerce.com में इंटरनेट के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा घरेलू/स्वदेशी बाजार में कार्य करेगा।

5.0 संविदा की अवधि :-

यह करार ..... से ..... तक वैध रहेगा और इस तरह के नियमों और शर्तों पर ऐसे आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति से किया गया है।

6.0 व्यवसाय की मात्रा :-

यह अनुबंध अपने आप में एमएसटीसी को व्यवसाय की मात्रा के बारे में प्रिंसिपल को प्रतिबद्ध नहीं करता है।

7.0 **एमएसटीसी की सेवा का स्वरूप एवं दायरा तथा दायित्व :**

7.1 "एमएसटीसी" नीलामी बिक्री का संचालन प्रत्यक्ष रूप से करेगा और किसी भी मामले में किसी भी डीलर/व्यापारी/नीलामीकर्ता को इस प्रयोजनार्थ नियुक्त नहीं करेगा।

7.2 ''एमएसटीसी'' नीलामी के प्रयोजनार्थ लॉट्स बनाने में मार्गदर्शन करेगा और ''प्रिंसिपल'' से निपटान योग्य सामग्री की सूची हासिल करने पर कार्रवाई करेगा।

7.3 ई-नीलामी के वेब आधारित प्रक्रिया होने के कारण बिक्री के सभी प्रचार ''एमएसटीसी'' के माध्यम से ''एमएसटीसी'' के वेबसाईट और अन्य इंटरनेट माध्यम पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा किसी भी प्रेस विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत बिक्री सूचना अखिल भारतीय स्तर पर ''एमएसटीसी'' के सभी पंजीकृत ग्राहक को ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा।

7.4 ''एमएसटीसी'' अपनी वेबसाईट www.mstcecommerce.com से मुख्यत: ई-नीलामी के सामग्रियों के निपटान हेतु व्यवस्था करेगा।

7.5 किसी भी नीलामी के बंद होने पर प्रिंसिपल को नीलामी की स्थिति को दर्शानेवाली एक सिस्टम जेनेरेटेड बीडशीट प्राप्त होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेचे गए ल़ॉटों, अनुमोदन के अधीन (एसटीए) लॉटों और साथ ही नहीं बेचे गए (अस्वीकृत) लॉटों उच्चतम बोली प्राप्त प्रिंसिपल के रेकॉर्ड के लिए शामिल होंगे। ''प्रिंसिपल'' के लिए किसी विशेष नीलामी की पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु वेबसाईट पर जाने का विकल्प मिलेगा, जो आमतौर पर एक विशेष नीलामी की बिड शीट की प्रतिकृति को दर्शाएगी।

7.6 आरक्षित मूल्य तय और दर्ज वेबसाईट में ''प्रिंसिपल'' (अपने गुप्त पासवर्ड के साथ) द्वारा होना है, जो निपटान योग्य सामग्रियों हेतु केवल ''प्रिंसिपल'' के पदनामित/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगम्य होगा, और किसी अन्य के द्वारा नहीं। आरक्षित मूल्य नीलामी आरंभ होने से पहले ''प्रिंसिपल'' द्वारा दर्ज न किए जाने के मामले में जिन लॉटों हेतु आरक्षित मूल्य दर्ज नहीं किए गए, उनको सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से निकाल लिया जाएगा।

7.7 यदि ''प्रिंसिपल'' सेलिंग एजेंसी करार में शामिल किसी वस्तु (वस्तुओं) के बारे में बाजार सर्वेक्षण कराने का इच्छुक है, तो इसकी लागत ''प्रिंसिपल'' द्वारा वहन की जाएगी। बाजार सर्वेक्षण स्वयं ''एमएसटीसी'' द्वारा अथवा सलाहकार नियुक्ति से किया जा सकता है।

7.8 ''एमएसटीसी'' अनुमोदित लॉट हेतु सिस्टम के माध्यम से ''प्रिंसिपल'' की ओर से सफल बोलीदाता/क्रेताओं/ग्राहकों को एसडी प्राप्ति के पश्चात बिक्री स्वीकृति पत्र जारी करेगा।

7.9 एमएसटीसी सिस्टम के माध्यम से खरीदारों से भुगतान प्राप्त होने के बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डिलीवरी ऑर्डर तैयार करेगा और जारी करेगा। बिक्री मूल्य (एमएसटीसी सेवा शुल्क घटाकर), कर और शुल्क, यदि कोई हो, के साथ सुपुर्दगी आदेश की प्रति

प्रस्तुत करने पर, प्रिंसिपल सामग्री सुपुर्द करेंगे। खरीददारों को सामग्री की सुपुर्दगी करने से पहले प्रिंसिपल अपने खातों में उक्त सामग्री मूल्य का क्रेडिट सुनिश्चित करेगा।

7.10 ''एमएसटीसी'' प्रिंसिपल की ओर से बुक किए गए ऑर्डर के अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करेगा।

8.0 <u>प्रिंसिपल के उत्तरदायित्व का स्वरूप एवं दायरा</u> :

8.1 प्रिंसिपल एमएसटीसी को निपटान के लिए विस्तृत विनिर्देशों और विवरण, स्थान, मात्रा, गुणवत्ता और विशेष टिप्पणियों या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध, यदि कोई हो, के साथ सामग्री की सूची प्रदान करेंगे। नीलामी खुली और लाइव घोषित होने के बाद प्रिंसिपल लॉट की मात्रा में संशोधन/परिवर्तन या रूपांतरण नहीं करेंगे। ऐसे सभी संशोधन/परिवर्तन/रुपांतरण नीलामी शुरू होने से पहले किए जाएंगे और एमएसटीसी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा या संभावित बोलीदाताओं को पर्याप्त रूप से अग्रिम सूचित करने के लिए सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में वेबसाइट में दर्ज किया जाएगा। एमएसटीसी को सामग्री की सूची अग्रेषित करते समय प्रिंसिपल प्रत्येक लॉट के लिए जीएसटी की दर का संकेत देंगे। एमएसटीसी ई-नीलामी कैटलॉग में ऐसी दर दर्शाएगा।

8.2 ''प्रिंसिपल'' निपटान योग्य मदों के यथासंभव प्रत्येक वर्ग की वार्षिक उपलब्धता के बारे में सूचित करेंगे। ''एमएसटीसी'' तथा ''प्रिंसिपल'' द्वारा प्रत्येक तिमाही में परस्पर सुविधानुसार नीलामी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ''प्रिंसिपल'' अपनी सुविधानुसार अपनी विभिन्न यूनिटों की निपटान योग्य वस्तुओं की संयुक्त सूची तैयार करेंगे।

8.3 प्रिंसिपल माल की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होंगे और एमएसटीसी द्वारा जारी डिलीवरी ऑर्डर और ई-नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार खरीदारों/ग्राहकों को डिलीवरी प्रभावित करेगा। सफल बोलीदाताओं/खरीदारों को कम सुपुर्दगी सहित सुपुर्दगी को प्रभावित करते समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, जिस पर एमएसटीसी का कोई नियंत्रण नहीं है, को प्रिंसिपल द्वारा निपटाया जाएगा।

8.4 ''प्रिंसिपल'' शर्तों एवं ''एमएसटीसी'' द्वारा जारी बिक्री आदेशों/डिलीवरी ऑर्डरों के अनुसार बीजक प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

8.5 ''प्रिंसिपल'' ई-नीलामी के जारी रहने के दौरान बोली इतिहास को देखने में सक्षम होंगे एवं नीलामी मॉनिटर भी कर सकेंगे।

8.6 ''एमएसटीसी'' ''प्रिंसिपल'' को सामग्री की बिक्री की मानक शर्तें एवं निबंधन उपलब्ध कराएगा। ''प्रिंसिपल'' साधारणत: ''एमएसटीसी'' की बिक्री की मानक शर्तों में कोई फेरबदल करने पर जोर नहीं देंगे।

9.0 सेवा शुल्क:

9.1 एमएसटीसी इंटरनेट पर ई-नीलामी के माध्यम से जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश (डीओ) के मूल्य के आधार पर प्राप्त सामग्री के मूल्य पर पारस्परिक रूप से तय (जीएसटी को छोड़कर) सेवा शुल्क का हकदार होगा। सेवा शुल्क पर लागू जीएसटी प्रिंसिपल द्वारा देय होगा। टीडीएस, जैसा लागू हो, एमएसटीसी द्वारा काटा जाएगा।

9.2 सेवा शुल्क की गणना सामग्री पर जीएसटी को छोड़कर प्राप्त राशि पर की जाएगी।

9.3 एमएसटीसी द्वारा खरीदार को एमएसटीसी और प्रिंसिपल के बीच पारस्परिक रूप से तय किए गए भुगतान के लिए निर्देशित किया जाएगा। टीडीएस या कोई अन्य वैधानिक लेवी, जैसा लागू हो, एमएसटीसी द्वारा काटा जाएगा।

10.0 करार के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति:

10.1 प्रिंसिपल और एमएसटीसी इस करार से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक-एक अधिकारी को नामित करेंगे। इस करार के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्य व्यवस्था पर पारस्परिक रूप से चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

11.0 बिक्री करार का निष्पादन :

11.1 इस करार के निष्पादन के समय "प्रिंसिपल" के मौजूदा बिक्री अनुबंध(ओं) का प्रचलन जारी रहेगा और वह इस करार के दायरे में नहीं आएगा। इसी प्रकार यह करार समाप्त होने पर 'एमएसटीसी'' द्वारा बुक किए ऑर्डरों का प्रचालन जारी रहेगा, मानों उन आर्डरों के निष्पादित होने तक यह करार जारी रहता है।

12.0 मुकदमों का संचालन :

चूंकि "एमएसटीसी" "प्रिंसिपल" के लिए केवल विक्रय अभिकर्ता/सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, ''प्रिंसिपल'' जो सामग्री का स्वामी/विक्रेता है, बोलीदाताओं/खरीदारों द्वारा आह्वान किए गए मध्यस्थता सहित सभी मुकदमें, यदि कोई हो, तो विशेष रूप से ''प्रिंसिपल'' द्वारा निपटाया जाएगा, चाहे ''एमएसटीसी'' ऐसी कार्यवाही में एक पार्टी के रूप में शामिल हो या न हो। मध्यस्थता सहित सभी सूट/कानूनी कार्यवाही को संभालने की जिम्मेदारी ''प्रिंसिपल'' की होगी, जो कि किसी भी खरीदार/बोलीदाता द्वारा शुरू की गई हो या उसके खिलाफ की गई हो और खुद का बचाव हेतु की गई हो। ऐसी सभी कार्यवाही स्वयं की लागत और व्यय पर की जाएगी। ''प्रिंसिपल'' के सक्षम अधिकारियों को भी एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि इस तरह की नियुक्ति के लिए बोलीदाता/ग्राहक द्वारा संबंधित निविदा/नीलामी/ई-नीलामी के नियमों के अनुसार अनुरोध किया जाता है। यदि ''एमएसटीसी'' की गलती पर कोई मामला उठता है, तो जिम्मेदारी ''एमएसटीसी'' का होगा।

13.0 न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :

इस करार के पक्षकारों इस बात से सहमत हैं कि इस करार से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल ___ न्यायालय (न्यायालयों) के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

14.0 <u>संशोधन:</u>

14.1 इस करार में कोई भी संशोधन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब लिखित रूप में किया गया हो और पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो ।

15.0 <u>अप्रत्याशित घटना खंड:</u>

15.1 यह करार जारी रहने के दौरान किसी भी समय यदि किसी पक्षकार द्वारा इस करार के अंतर्गत कोई वचनबद्धता पूर्णत: अथवा अंशत: किसी युद्ध, वैनमस्य, सार्वजनिक शत्रुता कार्रवाई, नागरिक उपद्रव, भीतरघात, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध, प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी, कर्फ्यू, तकनीकी और/या संपर्क विफलता, जो पूरी तरह से किसी भी पक्षकार के नियंत्रण से बाहर है अथवा ईश्वरीय कृत्य (जिसे एतद् पश्चात् घटनाएं कहा गया है) के कारण पूर्णत: अथवा अंशत: वंचित अथवा विलंबित रहती है बशर्ते ऐसी किसी संभावित घटना की सूचना प्रभावित पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को उसके घटित होने की तारीख से 21 दिनों

के भीतर दे दी जाती है, तो कोई भी पक्षकार ऐसी घटनाओं के कारण दूसरे पक्षकार से कार्य निष्पादित न करने अथवा कार्य के निष्पादन विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा, बशर्ते यह भी कि यदि इस करार के अंतर्गत किसी वचनबद्धता में ऐसी किसी घटना के कारण पूर्णत: अथवा अंशत: साठ दिनों से अधिक की अवधि का विलंब होता है, तो पक्षकारों उसके सौहार्दपूर्ण निपटान का प्रयास करेंगे और ऐसा निपटान असफल रहने पर किसी भी पक्षकार करार समाप्त कर सकता है और ऐसी स्थिति में ''एमएसटीसी'' सभी प्रकार के व्यय तथा बोलीदाताओं से प्राप्त अन्य धनराशियों का भुगतान ''प्रिंसिपल'' को तुरंत करने के लिए बाध्य होगा।

16.0 <u>समाप्ति:</u>

16.1 यह करार दोनों ओर से लिखित रूप में स्पष्ट 3(तीन) कैलेंडर महीनों के नोटिस के साथ समाप्त होने के अधीन होगा।

17.0 <u>मध्यस्थता खंड:</u>

17.1 केंद्र और राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/पोर्ट ट्रस्टों के बीच और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों (रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच वाणिज्यिक अनुबंध (ओं) के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या अंतर की स्थिति में, किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसे विवाद या अंतर को डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(1)/2013-डीपीई(जीएम)/एफटीएस-1835 दिनांक 22-05-2018 में उल्लिखित एएमआरसीडी के माध्यम से समाधान के लिए उठाया जाएगा।

17.2 निजी पार्टियों के लिए

इस अनुबंध के निर्माण, अर्थ, दायरे के संचालन या प्रभाव से संबंधित या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या अंतर को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा। पक्षकारों संयुक्त रूप से एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। यदि पक्षकार मध्यस्थता शुरू करने वाली पार्टी द्वारा मध्यस्थता के नोटिस की तारीख के तीस (30) दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत नहीं होते हैं, तो कोई भी पक्षकार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय ..... में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आग्रह करने के लिए हकदार होंगे। पक्षकारों या न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही का संचालन करेंगे और मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान ..... होगा। मध्यस्थता की लागत और खर्च पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे। एकमात्र मध्यस्थ तर्कसंगत एवार्डओं अंतरिम और/या अंतिम दोनों पारित कर सकते हैं जो अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

18. <u>अन्य शर्तें:</u>

(i) एमएसटीसी लिमिटेड केवल ई-नीलामी आयोजित करने के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा और प्रिंसिपल/विक्रेता और खरीदार(ओं) के बीच बिक्री अनुबंध (ओं) के लिए एक पार्टी नहीं होगी।

(ii) चूंकि बेची जाने वाली सामग्री कभी भी एमएसटीसी लिमिटेड की अभिरक्षा या कब्जे में नहीं आएगी, गुणवत्ता, मात्रा या माल की डिलीवरी के संबंध में बोलीदाताओं/खरीदारों की कोई शिकायत एमएसटीसी लिमिटेड के खिलाफ नहीं होगी।

(iii) एमएसटीसी बोलीदाताओं की ओर से इंटरनेट सेवा में किसी भी व्यवधान के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) इस करार के खंड के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी तरह के विचलन/विरोधाभास के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(v) वास्तविक भौतिक करार में ऊपर उल्लिखित शर्तों से किसी भी विचलन के मामले में, बाद की शर्तें मान्य होंगी।

19.0 कानून की प्रयोज्यता :

19.1 यह करार इस समय लागू भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने पहले ऊपर उल्लिखित दिन, माह तथा वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसटीसी लिमिटेड के लिए और की ओर से	**प्रिंसिपल** के लिए और की ओर से
पता सहित हस्ताक्षर	पता सहित हस्ताक्षर
(पदनाम)	(पदनाम)
(मुहर सहित हस्ताक्षर)	(मुहर सहित हस्ताक्षर)
की उपस्थिति में	
1.	1.
2.	2.